फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

आदूराम पुत्र केसराराम वगैराह बनाम राज0 राज्य

किस्म मुकदमा राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व अधिनियम

राजस्व अपील संख्या 32 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2024	पत्रावली बाद जांच कार्यालय रिपोर्ट पश्चात दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बायतू, जिला बालोतरा के प्रकरण क्रमांक राजस्व / 2024 / 06 निर्णय दिनांक 03.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पटाली नाडी, हीरनगर तहसील गिडा के विभिन्न निजी खातेदारी के खेत खसरान की रकबा भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के निर्देश दिये गये है। उपस्थित अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस सुनी गई तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया जिसके आधार पर अपीलान्ट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतू, जिला बालोतरा के द्वारा प्रकरण क्रमांक राजस्व / 2024 / 06 निर्णय दिनांक 03.01.2024 को अपीलान्ट के ख0सं0 946 / 281 की रकबा भूमि तक आंशिक रूप से निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार, गिडा से मौका जॉच कर मौका फर्द तैयार करावें। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, बायतू उक्तानुसार मौका फर्द पर उभय पक्षकारान की सुनवाई पश्चात पुनः संशोधित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उपरोक्त चलायमान रास्ते को बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशों के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (भंवरलाल मेहरा) सम्भागीय आयुक्त जोधपुर	